रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 416] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 1973/अग्रहायण 15, 1895

No. 416] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 1973/AGRAHAYANA 15, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G. and Q.)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1973

S.O. 731(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Assam for a period of six months with effect from 11th December, 1973 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G & Q).]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) अनुभाग (जी० एंड क्यू०)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर 73

सा० नि० 731(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-73 से 10-6-74 तक छह मास के लिये आसाम में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी एण्ड क्यू)]

S.O. 732(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Chandigarh for a period of six months with effect from 15th December, 1973 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G & Q).]

सा० नि० 732 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15-12-73 से 14-6-74 तक छह मास के लिये चण्डीगढ़ में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-11 (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 733(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Tripura for a period of six months with effect from 15th December, 1973 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G & Q).]

सा० नि० 733 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15-12-73 से 14-6-74 तक छह मास के लिये त्रिपुरा में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी:

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 734(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Punjab for a period of six months with effect from 19th December,1973 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G & Q).]

सा० नि० 734(अ)—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 19-12-73 से 18-6-74 तक छह मास के लिये पंजाब में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी :

[सं० एफ० /28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 735(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Gujarat for a period of six months with effect from 20th December, 1973 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G & Q).]

सा० नि० 735(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968(1968 का 47)की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 20-12-73 से 19-6-74 तक छह मास के लिये गुजरात में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी०एस०-II(जी एण्ड क्यू)]

S.O. 736(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in J and K for a period of six month with effect from 26th December, 1973 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G & Q).]

सा० नि० 736(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 26-12-73 से 25-6-74 तक छह मास के लिये जम्मू और कश्मीर में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी०एस०-II(जी एण्ड क्यू)]

S.O. 737(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Mizoram for a period of six months with effect from 11th December, 1973 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G & Q).]

सा० नि० 737(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968(1968 का 47)की धारा 2 की उपधारा(i) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-73 से 10-6-74 तक छह मास के लिये मीजोराम में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी

[सं० एफ० 9/28/69-बी०एस०-II(जी एण्ड क्यू)]

S.O. 738(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Nagaland for a period of six months with effect from 11th June, 1973 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G & Q).]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

सा० नि० 738(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968(1968 का 47)की धारा 2 की उपधारा(i)के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-73 से 10-6-74 तक छह मास के लिये नागालैंड में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी०एस०-II(जी०एण्ड क्यू०)]

सी० जी० सोमिया, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973